राजभाषा अनुभाग

विषय : संस्थान के प्रवीणत-प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को
व्यक्तिश: आदेश – अद्यतन डेटा उपलब्ध कराने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8(4) के अनुपालन में कार्यालय के प्रवीणता-प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर व्यक्तिश: आदेश जारी करना अपेक्षित है।

2. पिछले कुछ वर्षों में संस्थान में कई कार्मिक नियुक्त/स्थानांतरित हुए हैं। हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में इनकी अद्यतन जानकारी हिंदी अनुभाग में उपलब्ध नहीं है।

3. अत: संस्थान के सभी अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने अनुभाग में कार्यरत कार्मिकों के हिंदी ज्ञान की स्थिति के बारमें आवश्यक जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में भरकर हिंदी अनुभाग में दिनांक 25/11/2025 तक अग्रेषित करवाने का अनुग्रह करें।

संलग्न : यथोपरि

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

/

हिन्दी प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर का प्रपत्र

अनुभाग/केन्द्र का नाम : ....

1	2	3	4	5	6			7	8
क्रम सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम	जन्मतिथि	मातृ भाषा	शैक्षिक योग्यता	हिंदी ज्ञान की स्थिति/ हिंदी योग्यता			प्रशिक्षण की स्थिति (हिंदी टाइपिंग , हिंदी प्रबोध,प्रवीण, या प्राज्ञ या)	अभ्युक्ति
					(क)	(ख)	(ग)		
					कक्षा 10 या इससे उच्चत्तर शिक्षा का माध्यम (हिंदी, अंग्रेजी या अन्य)	क्या कक्षा 10 या इससे उच्च शिक्षा हिंदी एक विषय के साथ उत्तीर्ण की है (हां या नहीं)	क्या स्नातक में या उससे उच्चतर शिक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था। (हां या नहीं)		